बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

सं0सं0-स0क0निग0-134/2018 (खण्ड-IV)-2675/जिला पदाधिकारी, सारण छपरा के पत्रांक-765 दिनांक-05.05.2026 द्वारा प्राप्त पत्र में प्रतिवेदित किया गया है कि श्रीमती गीतांजली प्रसाद, जिला बाल संरक्षण इकाई, सारण, छपरा को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में संचालित Criminal Miscellaneous No-5930/2026 में दिनांक-07.01.2026 को CBI द्वारा सारण स्थित उनके आवास से भागलपुर औद्योगिक थाना काण्ड संख्या 96/2018 के आलोक में गिरफ्तार किया गया था। ये दिनांक-07.01.2026 से दिनांक-27.04.2026 तक कारावास में रही हैं।

उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती गीतांजली प्रसाद, जिला बाल संरक्षण इकाई, सारण, छपरा को बिहार सेवा संहिता के नियम-99 एवं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(2-क) के आलोक में कारावास की अवधि दिनांक-07.01.2026 से दिनांक-27.04.2026 तक निलंबित किया जाता है।

साथ हीं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम- 9(3)(i) के तहत श्रीमती प्रसाद को कारावास अवधि के समाप्ति के बाद निलंबन मुक्त समझा जायेगा।

निलंबन अवधि में उक्त नियमावली के नियम-10 के प्रावधानानुसार जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नही होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(योगेश कुमार सागर)
अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-134/2018 (खण्ड-IV)- 2675 पटना-15 दिनांक :- 2.6.2026

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी0डी0 एवं हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स0क0निग0-134/2018 (खण्ड-IV)- 2675 पटना-15 दिनांक :- 02.6.2026

ईमेल/
निबंधित

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना / वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / प्रमण्डलीय आयुक्त, भागलपुर/सारण/ निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना / जिला पदाधिकारी, भागलपुर/सारण/ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, भागलपुर/सारण / माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के प्रधानआप्त सचिव / उप सचिव (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / संबंधित कोषागार पदाधिकारी / विभागीय आई0टी0 मैनेजर (अपलोड हेतु) एवं श्रीमती गीतांजली प्रसाद, जिला बाल संरक्षण इकाई, सारण, छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव
समाज कल्याण विभाग।